अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : रावतभाटा

.....निर्मला शर्मा..... बनाम .....बिहारी तहसीलदार.....

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र..... नं0 ..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
17/03/2021	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर आप्तगण के नाम मय नकल जारी होकर। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/03/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	
30/03/2021	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी निर्मला शर्मा पत्नी दीनदयाल शर्मा (सुथार) कस्बा बालिया, निवासी एन.टी.सी. कॉलोनी रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) ने ग्राम झरझनी, प0ह0 झरझनी, तहसील रावतभाटा में खाता नम्बर 371, आराजी नम्बर 1394 रकबा 1.5 हेक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 एवं 8/10 हो तथा खाता नम्बर 372, आराजी नम्बर 1351 रकबा 1.30 हे0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 हो की पट्टा रजिस्ट्री कराने के लिए ~~आवेदन~~ निवेदन किया है कि ~~खातेदारी~~ आराजी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज किया है। अतः प्रार्थी निर्मला शर्मा पत्नी दीनदयाल शर्मा ग्राम झरझनी, प0ह0 झरझनी स्थित आराजी खाता नम्बर 371, आराजी नम्बर 1394 रकबा 1.5 हे0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 एवं 8/10 हो तथा खाता नम्बर 372, आराजी नम्बर 1351 रकबा 1.30 हेक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 हो की बिना किसी कब्जे दखल दार्थी किये मौके पर नक्शे अनुसार पट्टा रजिस्ट्री करने के आदेश दिए जाते है पट्टा रजिस्ट्री का खर्चा प्रार्थी वहन करेंगे। कमिश्नर	

से वसूल हो पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पत्र कारण को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आसामी की पत्रावली की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालनाप्राप्त हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार होकर बाबत कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)